न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल
जिलाः– सुपौल।

उपस्थितिः– अनंत सिंह
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

निर्णय की तिथिः– 18 मार्च, 2026

सत्र वाद संख्या–19/2021
सी0आई0एस0 संख्या–19/2021

➢ प्राथमिकी छातापुर थाना कांड संख्या– 183/2020, दिनांक 01.08.2020

सूचक	राज्य की ओर सेः– मणिभूषण कुमार सुधाकर
राज्य की ओर से	श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	राजेश कुमार मंडल, उम्र 50 वर्ष, पे0 हरिलाल मंडल, साकिन विसनपुर शिवराम वार्ड नं0–7 थाना बलुआ बाजार, जिला सुपौल **ए–1**
बचाव पक्ष की ओर से	श्री ठाकुर रणवीर सिंह, विद्वान अधिवक्ता

FORM-B	
➢ घटना की तिथि	30.07.2020
➢ प्राथमिकी की तिथि	01.08.2020
➢ आरोप पत्र की तिथि	25.11.2020
➢ आरोप गठन की तिथि	25.03.2021
➢ साक्ष्य बंद होने की तिथि	10.03.2026
➢ निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	18.03.2026
➢ निर्णय की तिथि	18.03.2026
➢ Date of the Sentencing Order, if any	Not Applicable

अभियुक्त का विवरण							
अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detection Undergone during Trial for Purpose of Section 428 Cr.P.C
ए–1	राजेश कुमार मंडल	18.09.20	22.01.21	420, 328, 379, 411/34 भा0द0वि0	Acquitted	N/A	N/A

::निर्णय::

1. प्रस्तुत वाद के एक मात्र अभियुक्त आवेदक राजेश कुमार मंडल के वरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 420, 328, 379, 411/34 के अंतर्गत आरोप का विचारण किया गया है।

2. प्रस्तुत वाद सूचक मणिभूषण कुमार सुधाकर के फर्द बयान पर आधारित है। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है, कि घटना तिथि व समय को सूचक छातापुर ऑटो स्टेण्ड के पास अपना टेम्पु रजि0 नं0–BR-11T 5199 बठा था, कि दो अज्ञात सवारी आया और उसे बोला कि रिजर्व में चलना है तो उसने कहा हॉ जाना है तो वह बोला हम ठुड्डी जायेगें एवं वहॉ से समान लाना है, उसने ऑटो स्टेण्ड से भीमपुर थाना अंतर्गत ठुड्डी के लिए चला और रास्ते में हरिहरपुर के पास कहा कि नास्ता पानी करेगें फिर उसके बाद चलेगें, उसी दरम्यान उन लोगों ने नास्ता पानी किया फिर उन्होंने उसे आग्रह किया कि आप भी थोड़ा नास्ता कर लीलिए, लेकिन उसके द्वारा नास्ता करने से मना कर दिया। रास्ते में माजा (कागजा वाला तीन बोतल) लिया और उसे भी एक बोतल दिया, उसके बाद उक्त सवारी उसे बहला फुसलाकर बोला कि उसने ऑटो चलायेगा, तो सूचक ने उसपर विश्वास करके उसे ऑटो चलाने के लिये दिया तथा भीमपुर थाना के पहले करीब 200 मीटर में बेहोशी की हालत में जाने लगा और उसने सवारी को कहा कि मेरा सर फटा जा रहा है तो उन्होंने बोला कि गर्मी से सर में दर्द हो रहा है और वह ऑटो लेकर तेजी से जाने लगा जैसे ही RD 78 ठुड्डी वार्ड नं0–12 थाना भीमपुर जिला सुपौल पहुॅचा तो उसके ऑटो पर बैठा सवारी उसके पॉकेट से 10000/– रूपया एवं मोबाईल निकाल लिया एवं ऑटो से धक्का देकर उसे गिरा दिया उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है तथा होश आने पर वह अपना ईलाज प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र छातापुर में करवाया।

3. सूचक के उपरोक्त कथन के आधार पर छातापुर थाना कांड संख्या–183/2020 दिनांक 01/08/2020 संस्थित किया गया। तत्पश्चात अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त आवेदक के विरूद्व आरोप पत्र सं0–215/2020 समर्पित किया गया। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तं के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा–420, 328, 379, 411/34 के अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 को अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात विद्वान निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 18/01/2021 द्वारा वाद का दौरा सुपुर्द किया गया तथा अभिलेख दिनांक 22/01/2021 को प्राप्त हुआ। अंत में अभिलेख इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त राजेश कुमार मंडल के विरुद्ध दिनांक 25/03/2021 को भा0दं0वि0 की धारा–420, 328, 379, 411/34 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है।

5. उक्त अभियुक्तों का बयान दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 10/03/2026 को दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

6. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारण का सामने कर रहे उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे इस प्रकार साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं जिससे कि उन्हें इस वाद में दोषी साबित किया जा सके ?

मंतव्य

7. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में सूचक एवं जख्मी सहित कुल 05 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1.	विरेन्द्र दास	P.W.-1
2.	मणिभूषण कुमार सुधाकर(सूचक)	P.W.-2
3.	बसंत कुमार मुखिया	P.W.-3
4.	कमलेश्वरी मंडल	P.W.-4
5.	शंभू कुमार यादव	P.W.-3

8. इस वाद में अभियोजन की ओर से जप्ती सूची पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– 01 एवं फर्द बयान सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श– 01 के रूप में चिन्हित किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से इस वाद में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित किया गया कि इस वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षियों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है और न ही उक्त घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी ठोस विधिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने की प्रार्थना की गयी।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत सूचिका एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन से प्रतीत होगा कि अभियोजन अभियुक्तं के विरूद्ध अपना मामला को साबित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त वाद में दोषी करार करने की प्रार्थना की गयी।

12. प्रस्तुत वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्त्ता सहित कुल 03 साक्षियों को प्रस्तुत कराया गया है, जिसमें **अभियोजन साक्षी सं0–01. विरेन्द्र दास** है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना करीब 5 वर्ष पूर्व की है, वे अपने घ ार से बलुआ सरकारी अस्पताल जा रहा था, तो थाने के सिपाही बुलाकर उससे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया। जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 के रूप में अंकित करवाया है। पुलिस उससे पूछताछ नहीं किया था। न्यायालय में उपस्थित मुदालह को पहचानता है। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन साक्षी सं0–02. मणिभूषण कुमार सुधाकर है, जो प्रस्तुत वाद के सूचक है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि यह मुकदमा उसने किया था, घ ाटना वर्ष 2020 की है। घटना के समय वह ऑटो चलाता था। सवारी आकर उसका ऑटो को रिवर्ज करके ले गया तथा रास्ते में Mango Fruity उसे पिला दिया, जिसे वह बेहोश हो गया और उसका ऑटो, मोबाईल, नगद 15000/– रूपया, 7 भरी चॉदी का सिकड़ी लेकर चला गया। दूसरे दिन उसे होश आया तथा होश आने के बाद वह छातापुर थाने गया और थाने में लिखित आवेदन दिया तथा आवेदन को पढ़कर सही पाकर अपना हस्ताक्षर बनाया एवं अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श– 02 के रूप में चिन्हित किया। जो व्यक्ति उसका ऑटो रिजर्व करके ले गया था वह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है, कि उसने जो मुकदमा किया था, उसमें किसी मुदालह का नाम नहीं दिया था, न्यायालय में खड़े अभियुक्त उसका ऑटो भाड़े पर नहीं लिया था। अदालत में खड़े अभियुक्त को नहीं पहचानते है। उसका टेम्पु का आगे का रंग काला था। वे अपने टेम्पु के आगे में भाग्य लक्ष्मी नहीं लिखा था तथा पुलिस के द्वारा टेम्पु का चेचिस दिखाया था, लेकिन वह उसका नहीं था।

अभियोजन साक्षी सं0–03. बसंत मुखिया है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि घटना वर्ष 2021 की है, दिन के 1–2 बजे की है। उसे लोगों के द्वारा बताया गया कि उसका भाई मणिभूषण का टेम्पु किसी व्यक्ति के द्वारा छीन लिया गया, टेम्पु नहीं मिला। अदालत में खड़े मुदालह को नहीं पहचानता है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से जानकारी मिली थी।

अभियोजन साक्षी सं0– 04. कमलेश्वरी मंडल है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मणिभूषण उसका भतीजा है, मणिभूषण कुमार का टेम्पु चोरी हो गया था, किसके द्वारा चोरी किया गया था उसे नहीं पता है। अदालत में खड़े मुदालह को पहचानता है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में सुने थे।

अभियोजन साक्षी सं0. 05. शंभू कुमार यादव है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जानकारी मिली थी कि उसके गॉव के मणिभूषण का टेम्पु चोरी हो गया था तथा अदालत में खड़े मुदालह को नहीं पहचानता है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में सुना था।

13. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के तथ्यपरक अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूॅ कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से सूचक, सहित कुल 05 साक्षियों को परीक्षित कराया गया, लेकिन उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्व नहीं होती है, क्योंकि अभियोजन साक्षी संख्या–01. विरेन्द्र दास है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे अने घर से बलुआ सरकारी अस्पताल जा रहा था, तो थाने के सिपाही द्वारा उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इसी तरह अभियोजन साक्षी सं0–03. बसंत कुमार मुखिया, जो प्रस्तुत वाद के सूचक के भाई है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में है, कि उसे लोगों के द्वारा सूचना मिली कि उसके भाई मणिभूषण का टेम्पु किसी व्यक्ति के द्वारा छिन लिया गया, लेकिन टेम्पु नहीं मिला तथा अदालत में खड़े अभियुक्त को पहचानने से इन्कार किया। अभियोजन साक्षी सं0–04. कमलेश्वरी मंडल है, जो सूचक के चाचा है, इन्होंने भी अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मणिभूषण का टेम्पु चोरी हो गया था, किसके द्वारा चोरी किया गया था नहीं पता है तथा अदालत में खड़े अभियुक्त को पहचानने से इन्कार किया। इसी तरह अभियोजन साक्षी सं0–05. शंभू कुमार यादव है, इनहोंने भी अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि उसे घटना के बारे में किसी अन्य से व्यक्ति से जानकारी मिली थी तथा अदालत में खड़े अभियुक्त को भी पहचानने से इन्कार किया। अभियोजन साक्षी सं0–02. मणिभूषण कुमार सुधाकर है, इनके द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं प्राथमिकी में अंकित कराये गये बयान में काफी विरोधाभाष है, क्योंकि इस साक्षी के द्वारा न्यायालय में दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके टेम्पु पर बैठे यात्री ने उसे Mango Fruity के

पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसका ऑटो, मोबाईल, नगद 15000 रूपया, 7 भरी चॉदी का सिकड़ी छिन लिया था तथा दूसरे दिन होश आने के बाद छातापुर थाने गया और थाने पर लिखित आवेदन दिया, लेकिन इनके द्वारा थाने में दिये गये फर्द बयान में कहा है, कि उसके टेम्पु पर बैठे व्यक्ति उसके पॉकेट से 10000/— रूपया एवं मोबाईल निकाल लिया एवं ऑटो से धकेल दिया तथा उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है और उसे होश आने पर छातापुर अस्पताल में अपना ईलाज करवाया। इस साक्षी ने अपने न्यायालय में दिये गये बयान के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में कहा है कि न्यायालय में खड़े अभियुक्त के द्वारा उसका ऑटो भाड़े पर नहीं लिया था। इस तरह अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियोजन की ओर से सूचक सहित जितने भी साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया है, उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि सूचक सहित अन्य साक्षियों ने प्रस्तुत वाद के अभियुक्त को पहचानने से इन्कार किया है।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वाद में विचारण का सामना कर रहें उक्त अभियुक्त के विरूद्ध सूचक के साथ घटना में शामिल होने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिसे अभियोजन की घटना साबित हो सके। अतः इस न्यायालय के मतानुसार अभियोजन इस वाद के अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को सभी युक्ति—युक्त रूप से संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। परिणामस्वरूप :—

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त आवेदक राजेश कुमार मंडल को भा0दं0वि0 की धारा— 420, 328, 379, 411/34 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को बंधपत्र के समस्त उत्तरदायित्वों, यदि कोई हो, से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज यथा दिनांक 18/03/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित	लेखापित
sd/-	sd/-
(अनंत सिंह)	(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल	सुपौल
दिनांकः—18.03.2026	दिनांकः—18.03.2026